



गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यूजीसीएक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध-मण्डल की 28 वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 18.08.2025

समय : प्रातः 11:00 बजे

स्थान : ए0आई0यू0, नई दिल्ली

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही :

क्र० सं०	नम	पद
1.	प्रो० प्रभात कुमार	मान्य कुलपति, अध्यक्ष
2.	डॉ० एस०एम० शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
3.	डॉ० हरि प्रकाश शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
4.	डॉ० प्रतिभा मेहता लुथरा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
5.	श्री पी०के० बैनर्जी	शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य (ऑनलाईन लिंक प्रेषित)
6.	श्री विनय आर्य	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य (ऑनलाईन)
7.	श्री अशोक कुमार पुरथी	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
8.	डॉ० राजेन्द्र विद्यालंकार	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
9.	श्री कृपाल सिंह	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
10.	प्रो० नवनीत	वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
11.	प्रो. ब्रह्मदेव	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
12.	प्रो. कर्मजीत भाटिया	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
13.	डॉ० मनोज कुमार	वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
14.	प्रो० राकेश कुमार, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	डॉ० हेमन पाठक	कॉर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून – विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो० सीमा शर्मा	कॉर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार, विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो० एल.पी. पुरोहित	मुख्य परीक्षा नियंत्रक, विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० सुनील कुमार,	कुलसचिव/सचिव –संयोजक (ऑनलाईन)
19.	श्री देवेन्द्र कुमार	संयुक्त कुलसचिव

प्रस्ताव संख्या 01

ईश वन्दना के साथ बैठक का आरम्भ।

ईश वन्दना के साथ बैठक आरम्भ हुई।

- प्रस्ताव संख्या 02 समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 25.07.2025 का क्रियान्वयन।
बैठक में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल को जानकारी दी गई।
- प्रस्ताव संख्या 03 समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 2019 के नियम संख्या 22 के बिन्दु (iii) के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रूप में 02 सदस्यों को नामित किया जाता है। जिसमें से 01 सदस्य प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों में से नामित किया जाना है। जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
अतः समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 2019 के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य जो कि वर्तमान में प्रबन्ध मण्डल का सदस्य हो, को वित्त समिति हेतु सदस्य नामित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत है।
सर्वसम्मति से डॉ. एस. एम. शर्मा, सदस्य प्रबन्ध मण्डल को वित्त समिति में तीन वर्ष हेतु प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया।
- प्रस्ताव संख्या 04 समविश्वविद्यालय में भविष्य में कुलपति पद पर स्थाई नियुक्ति की जानी अपेक्षित है। कुलपति का अंतिम चयन कुलाधिपति महोदय द्वारा किया जाता है। इससे पूर्व एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है, जो तीन नाम माननीय कुलाधिपति जी की संस्तुति से होते हैं एवं इस समिति में एक सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित किया जाता है। अतः प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत है।
विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित सदस्य का नाम तय किया गया। अतिगोपनीयता की दृष्टि से नामित सदस्य का नाम सार्वजनिक न करते हुए बंद लिफाफे में सील कर कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार को सौंप दिया गया। प्रो. सुनील कुमार द्वारा प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया गया कि यू.जी.सी. रेगुलेशन 2019 के अनुरूप नियमित कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
- प्रस्ताव संख्या 05 समविश्वविद्यालय में दिनांक 27.05.2023, 16.08.2023, 12.07.2024 एवं 23.11.2024 को हुई शिक्षा पटल की बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
समविश्वविद्यालय में दिनांक 27.05.2023, 16.08.2023, 12.07.2024 एवं 23.11.2024 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षा पटल की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
उक्त प्रस्ताव का अंकन एवं सम्पुष्टि की गई।
- प्रस्ताव संख्या 06 समविश्वविद्यालय में दिनांक 21.03.2025 को परिसंचरण (Circulation) एवं दिनांक 12.07.2025 को कुलपति कार्यालय में हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
समविश्वविद्यालय में दिनांक 21.03.2025 को परिसंचरण (Circulation) एवं दिनांक 12.07.2025 के कुलपति कार्यालय में वित्त समिति की बैठक की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

सैद्धान्तिक रूप से आंशिक (Partially) स्वीकार्य है। विस्तृत आय-व्यय के सम्पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.07.2025 की कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या 16

श्री शत्रुघ्न झा की बर्खास्तगी अवधि 20.08.2021 से 05.07.2023 का वेतन जारी किये जाने के सम्बन्ध में। एक समिति का गठन किया गया था। गठित समिति ने संस्तुति की है कि यह विषय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विचार करने के उपरान्त सभी सदस्यों का मत था कि व्यक्तिगत पत्रावली के साथ विस्तृत विवरण देते हुए इस विषय को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में ले जाया जाए।

स्ववित्तपोषित योजना अन्तर्गत कार्यरत श्री शत्रुघ्न झा, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की बर्खास्तगी अवधि (20.08.2021 से 05.07.2023) के वेतन सम्बन्धी उपरोक्त प्रस्ताव व्यक्तिगत पत्रावली एवं विस्तृत विवरण के साथ कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्त विषय पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् प्रो. श्रवण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति दिनांकित 14.06.2023 की संस्तुतियां एवं प्रो. एल. पी. पुरोहित की अध्यक्षता में गठित समिति 29.08.2024 की संस्तुतियां, पुनर्स्थापित कार्यालय आदेश 05.07.2023 एवं उसके क्रम में प्रस्तुत शपथ पत्र 07.07.2023 परस्पर विरोधाभासी हैं। निर्णयानुसार प्रबन्ध मण्डल बर्खास्तगी के पश्चात् पुनःस्थापित होने की समस्त कार्यवाही को अस्वीकार्य करता है। कुलपति जी ने सदन से आग्रह किया कि एक जांच समिति का गठन कर सम्पूर्ण प्रकरण का परिशीलन करा लिया जाए। विचारोपरान्त एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें डॉ. सुभाष तंवर एवं श्री आनन्द पंडित प्रबन्ध मण्डल के नामित सदस्य एवं डॉ. खेमराज भट्ट कुलपति द्वारा नामित सदस्य होंगे। कुलसचिव या कुलसचिव द्वारा नामित व्यक्ति उपरोक्त समिति के संयोजक होंगे।

प्रस्ताव संख्या 07

समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग-कम-मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन-2010 एवं 2018 के अनुसार कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग-कम-मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों के अनुसार निम्न शिक्षक/शिक्षिकाओं की उनके सम्मुख अंकित पदों पर प्रोन्नति की गयी है।

यह पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त मेल में अंकित फाइल संख्या 8-6/2018(DU)-Part(1), June 2024 के आलोक में की गई है।

अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत:-

क्र० सं०	नाम शिक्षक/शिक्षिकाएं	विभाग	प्रोन्नत पदनाम
1.	डॉ० संदीप कुमार	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)
2.	डॉ० वेदव्रत	संस्कृत	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)
3.	डॉ० भगवान दास जोशी	ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)
4.	डॉ० सविता	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)
5.	डॉ० जगराम मीणा	रसायन विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)

35.	डॉ० महेन्द्र सिंह	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए)
36.	डॉ० कृष्ण कुमार	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए)
37.	डॉ० श्वेतांक	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए)
38.	डॉ० वरिन्दर विक्र	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए)
39.	डॉ० अनिल कुमार धीमान	पुस्तकालय	सूचना वैज्ञानिक (लेवल-12) से सूचना वैज्ञानिक (लेवल-13ए)
40.	डॉ० अरुण कुमार	मनोविज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज-04) से प्रोफेसर (स्टेज-05)
41.	डॉ० पवन कुमार	भौतिकी	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
42.	डॉ० मनोज कुमार	गणित एवं सांख्यिकी	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
43.	डॉ० निधि हाण्डा	गणित एवं सांख्यिकी	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
44.	डॉ० राजकुमार	कम्प्यूटर विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
45.	डॉ० नीना गुप्ता	कम्प्यूटर विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
46.	डॉ० संगीता मदान	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
47.	डॉ० राकेश भूटियानी	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
48.	डॉ० नितिन काम्बोज	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
49.	डॉ० आभा शुक्ला	रसायन	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
50.	डॉ० ऋषि कुमार शुक्ला	रसायन	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
51.	डॉ० दीपा गुप्ता	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
52.	डॉ० कुशवाहा दिलीप कुमार	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14)
53.	डॉ० ब्रह्मदेव	संस्कृत	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
54.	डॉ० सुरेखा राणा	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
55.	डॉ० विनोद कुमार सिंह	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
56.	डॉ० पंकज मदान	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
57.	डॉ० देवेन्द्र सिंह मलिक	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
58.	डॉ० नमिता जोशी	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
59.	डॉ० नवनीत	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
60.	डॉ० अम्बुज कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त)	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
61.	डॉ० हेमलता के.	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
62.	डॉ० मुदिता अग्निहोत्री	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)

63.	डॉ० मंजुषा कौशिक	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
64.	डॉ० लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित	भौतिकी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
65.	डॉ० कर्मजीत भाटिया	कम्प्यूटर विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
66.	डॉ० निपुर सिंह	कम्प्यूटर विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
67.	डॉ० प्रभात कुमार	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
68.	डॉ० देवेन्द्र कुमार गुप्ता	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
69.	डॉ० रेणु शुक्ला	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
70.	डॉ० सत्यदेव निगमालंकार	श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
71.	डॉ० सुचित्रा मलिक (सेवानिवृत्त)	हिन्दी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
72.	डॉ० सीमा शर्मा	गणित एवं सांख्यिकी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)
73.	डॉ० दिनेश चन्द्र शास्त्री (अवैतनिक अवकाश पर)	वेद	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)

अतः उपरोक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति के सीलबन्ध लिफाफे खोले जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 08

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग-कम-मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग-कम-मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों के अनुसार निम्न शिक्षक/शिक्षिकाओं की उनके सम्मुख अंकित पदों पर प्रोन्नति की गयी है।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत:-

क्र० सं०	नाम शिक्षक/शिक्षिकाएं	विभाग	प्रोन्नत पदनाम
1.	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	एम०ई० (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)
2.	श्री ऋषि कुमार प्रजापति	एम०ई० (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)
3.	डॉ० सुयष भारद्वाज	सी०एस०सी० (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-01) से असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-02)
4.	डॉ० अजय मलिक	शारीरिक शिक्षा एवं खेल	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
5.	डॉ० देवेन्द्र सिंह	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
6.	डॉ० लोकेश कुमार जोशी	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
7.	डॉ० संजीव कुमार लाम्बा	एम०ई० (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
8.	डॉ० अजय कुमार	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
9.	डॉ० निशान्त कुमार	सी०एस०सी० (एफ०ई०टी०)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)

10.	डॉ० विपिन कुमार	भेषज विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
11.	डॉ० कपिल कुमार गोयल	भेषज विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
12.	डॉ० अश्वनी कुमार	भेषज विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
13.	डॉ० विनोद नौटियाल	भेषज विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12)
14.	डॉ० विवेक गोयल	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ0ई0टी0)	असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-02) से असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-03)
15.	श्री अनुज कुमार शर्मा	ई0सी0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-02) से असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-03)
16.	श्री शिव कुमार सिंह	ई0सी0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-02) से असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-03)
17.	श्री नमित खण्डुजा	सी0एस0सी0 एफ0ई0टी0)	असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-02) से असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-03)
18.	डॉ० तनुज कुमार गर्ग	ई0सी0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-13ए)
19.	डॉ० पूनम पैन्वली	प्रबन्ध अध्ययन	असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज-04)
20.	डॉ० बिन्दु अरोड़ा	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-15)

अतः उपरोक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के कैरियर एडवासेमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति के सीलबन्द लिफाफे खोले जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 09

समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

अनुरक्षण अनुदान में स्थायी रूप से कार्यरत निम्न शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या 1-2020 (JCRC) दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	I/II/III MACP	MACP देय तिथि	देय वेतनमान
1.	श्री उदित कुमार	लैब असि०	II	26.03.2023	Level-06, Rs. 35400-112400
2.	श्री शिव कुमार मौर्य	लाइब्रेरी अटै०	I	10.04.2023	Level-02, Rs. 19900-63200
3.	श्री मनीष अग्रवाल	सिस्टम एनालिस्ट	I	25.04.2023	Level-11, Rs. 67700-208700
4.	श्री राजकिशोर राठौड़	पुस्त० सहा०	I	10.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
5.	डॉ० मनोज कुमार	क्यूरेटर	II	07.04.2023	Level-12, Rs. 78800-209200
6.	श्री सचिन कु० कौशिक	प्रोफे० असि०	I	10.04.2023	Level-07, Rs. 44900-142400
7.	श्री अरुण कुमार	लैब असि० (रसायन)	I	12.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
8.	श्री गोपाल सिंह राणा	तक०सहा० (IT)	I	22.04.2023	Level-06, Rs. 35400-112400
9.	श्री यशपाल सिंह तोमर	सिस्टम एनालिस्ट	I	28.07.2021	Level-11, Rs. 67700-208700
10.	श्री विपिन कुमार	गैलरी अटै०	I	10.04.2023	Level-02,

					Rs. 19900-63200
11.	श्रीमती लीलावती	एम0टी0एस0	II	09.04.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
12.	श्री दीपक आनन्द	व0तक0सहा0 (IT)	II	26.03.2023	Level-08, Rs. 47600-151100
13.	श्री कैलाश चन्द्र भट्ट	विद्युतकार	I	12.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
14.	श्री राजेश कुमार	एम0टी0एस0	II	18.08.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
15.	श्री जयचन्द	एम0टी0एस0	II	02.08.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
16.	श्री कमल सिंह	एल0डी0सी0	III	17.01.2024	Level-04, Rs. 25500-81100
17.	श्रीमती स्वाति सिंघल	तकनीकि सहायक (IT)	I	21.04.2024	Level-06, Rs. 35400-112400
18.	श्री रजनीश भारद्वाज	लैब असिस्टेन्ट	II	01.08.2023	Level-06, Rs. 35400-112400
19.	श्री वीरेन्द्र कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	I	10.04.2023	Level-02, Rs. 19900-63200

अतः प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 10

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत :-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	I/II/III MACP	MACP देय तिथि	देय वेतनमान
1.	श्री कुलदीप कुमार	एल0डी0सी0	I	10.04.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
2.	श्री अनिरुद्ध कुमार यादव	लैब टैक्नी0	I	13.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
3.	श्री अपूर्व कौशिक	सिस्टम एनालिस्ट	I	10.04.2023	Level-11, Rs. 67700-208700
4.	श्री अर्जुन सिंह	एम0टी0एस0	II	18.08.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
5.	श्रीमती पारुल सिंह	एल0डी0सी0	I	03.11.2023	Level-03, Rs. 21700-69100

अतः प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 11

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारी स्व0 श्री हेमन्त कुमार (एम0टी0एस0) के देहावसान उपरान्त देय MACP (II) योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान (Level-03, Rs. 21700-69100) का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत स्व0 श्री हेमन्त कुमार को MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है। अतः स्व0 श्री हेमन्त कुमार को देय तिथि से MACP का लाभ (देय तिथि 30.09.2023) दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 12

समविश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर चयनित शिक्षकों के सीलबन्द लिफाफों के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति का प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में विज्ञापन संख्या GKV/Estt.-II/01/2021, GK(DU)/Estt.-II/04/2022 एवं GK(DU)/Estt.-II/05/2022 में स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें शिक्षकों के साक्षात्कार चयन समिति के माध्यम सम्पन्न करा लिये गये थे। साक्षात्कार के उपरान्त विभिन्न आपत्तियों पर विचार करने हेतु सीलबन्द लिफाफों पर निर्णय लिये जाने के लिए प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या-11 के अनुसार निम्न समिति का गठन किया गया था –

1. प्रो. श्रवण कुमार शर्मा, अध्यक्ष
2. डॉ. खेमराज भट्ट, सदस्य
3. कुलपति जी द्वारा नामित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सेवानिवृत्त अधिकारी

अतः गठित समिति द्वारा प्रेषित संस्तुति बैठक में प्रस्तुत है।

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल दिनांकित 25.07.2025 के प्रस्ताव संख्या 26 में यह निर्णय हुआ था कि नियुक्ति सम्बन्धी लिफाफा खोलने के संदर्भ में निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 12 के साथ ही किया जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन का संज्ञान लिया गया। विस्तृत चर्चा के पश्चात् निर्णय लिया गया कि – चयन समिति की अनुशंसा साक्षात्कार की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी और यदि किसी भी कारण से अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई तो अनुशंसा समाप्त हो जाएगी और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा।

सम्पूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया को निरस्त किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा नया विज्ञापन जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 13

समविश्वविद्यालय में विभिन्न शिक्षकेतर वर्ग के पदों पर हुए पदोन्नति के लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर वर्ग के कुछ पदों पर निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति का प्रावधान होता है, जो कि योग्यता, वरिष्ठता एवं टंकण परीक्षा के आधार पर पदों के अनुसार होती है। वर्तमान में समविश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सहायक एवं उच्च श्रेणी लिपिक पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था जिस हेतु दिनांक 21.07.2024 एवं 24.07.2024 को समविश्वविद्यालय रिक्तमेन्ट रुल्स 2020 के अनुसार विभागीय परीक्षा, वरिष्ठता-कम फिटनेश एवं वार्षिक मूल्यांकन (ए.सी.आर.) ग्रेडिंग के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर योग्य कर्मचारियों का चयन किया गया। जिनके लिफाफे सीलबन्द हैं।

अतः उपर्युक्त पदोन्नति के सीलबन्द लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 14

समविश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ० हरीश चन्द्र द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर वाद के आलोक में मान्य न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2024 के क्रम में दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में स्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ० हरीश चन्द्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड-नैनीताल में अपने समविश्वविद्यालय में प्रोफेसर

पद पर नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में दायर याचिका संख्या WPSB No.446 of 2023 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश दिनांक 23.10.2024 के क्रम में डॉ० हरीश चन्द्र के उक्त प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाये।

अतः मान्य न्यायालय के आदेश के आलोक में डॉ० हरीश चन्द्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 15

डॉ० आरती भारद्वाज के निजी सेवा के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में पूर्व में चयनित डॉ० आरती भारद्वाज के नियुक्ति प्रकरण के सम्बन्ध में इनके द्वारा जो निजी शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं के अनुभव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 (6) में सर्वसम्मति से निजी शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने हेतु 09 बिन्दुओं के अनुसार लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त प्रपत्रों को पूर्ण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रेषित किये गये पत्र के आलोक में डॉ० आरती भारद्वाज द्वारा प्रेषित किये गये प्रपत्रों के सम्बन्ध में प्रो० एम०आर० वर्मा की अध्यक्षता में गठन किया गया था। समिति द्वारा दिनांक 03.01.2022 को प्रेषित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकरण में यह विदित कराना आवश्यक है कि इनकी एवं डॉ. हरिश्चन्द्र तथा डॉ. निशान्त राय के पूर्व संस्था की सेवाओं के सम्बन्ध में सत्यापन हेतु प्रो० डी० एस० मलिक की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट अभी तक समविश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो पाई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 16

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 अनुसार समविश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ-वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 के निर्णयानुसार समविश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ-वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बनाये जाने हेतु प्रो० एल०पी० पुरोहित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के बिन्दु निम्नवत् है:-

1. स्टाफ वार्ड सुविधा गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के अनुरक्षण अनुदान योजना एवं स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत सभी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को देय होगा।
2. स्टाफ वार्ड सुविधा के अन्तर्गत पी०एच०डी० एवं डी०लिट कोर्स को छोड़कर अन्य सभी कोर्सों में केवल शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जा सकती है तथा अन्य शुल्क पूर्ण रूप से लिया जा सकता है।
3. स्टाफ वार्ड सुविधा के अन्तर्गत एडमिशन लेने हेतु समविश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को चिलड्रेन एजुकेशन अलाउन्स (सी०ई०ए०) की भांति प्रथम दो वयस्क बच्चों (दूसरी अवस्था में जुड़वा सहित) एवं उसकी पत्नी/पति के लिए देय होगा।

4. स्टाफ वार्ड सुविधा केवल एडमिशन के समय समविश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही देय होगी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा।
5. उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा निर्गत स्टाफ वार्ड प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

अतः उपर्युक्त समिति की संस्तुति के आलोक में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 17

समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ० प्रवीणा चतुर्वेदी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ० प्रवीणा चतुर्वेदी ने डॉ० हेमन पाठक, प्रोफेसर से अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र के निराकरण के आलोक में प्रो० रेणु शुक्ला की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा संस्तुति की गयी है कि परिसर के कार्यालय उपस्थिति पंजिका में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही डॉ० प्रवीणा चतुर्वेदी का नाम डॉ० हेमन पाठक से ऊपर है साथ ही "महत्वपूर्ण और प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स एवं कार्यभार ग्रहण करने के समय के आधार पर डॉ० प्रवीणा चतुर्वेदी, डॉ० हेमन पाठक से वरिष्ठ है।"

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि इस समविश्वविद्यालय में प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 02 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक 28.11.1998 की संस्तुति में वरिष्ठताक्रम पर डॉ० हेमन पाठक प्रथम स्थान पर तथा डॉ० प्रवीणा चतुर्वेदी द्वितीय स्थान पर अंकित है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 18

समविश्वविद्यालय में सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं में ड्यूटी के लिये पारिश्रमिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं के केन्द्रों पर संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिये विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पूर्व में परीक्षा ड्यूटी हेतु पारिश्रमिक दिया जाता रहा है। लेकिन कोविड 2019 काल की विषम परिस्थितियों में परीक्षाएँ ऑनलाईन माध्यम से संपन्न करायी जाती थी। वर्तमान में परीक्षाएँ ऑफलाईन माध्यम से संपन्न करायी जा रही है।

अतः पूर्व की भांति परीक्षाओं के संचालन एवं सम्पादन के लिये विभिन्न ड्यूटीओं के पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 19

समविश्वविद्यालय में पूर्व में एक वाहन (INNOVA) क्रय किया गया था, जो कि 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है। इस सम्बन्ध में एक वाहन क्रय किया जाना आवश्यक है जिससे कि समविश्वविद्यालय के अधिकारीगण समविश्वविद्यालय कार्यार्थ विभिन्न संस्थाओं एवं यू.जी. सी., एम.एच.आर.डी. इत्यादि में बैठक हेतु आवागमन सुगमता से कर सकें। अतः वाहन क्रय किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

भारत सरकार से अनुरक्षण प्राप्त निधि OH-36 (Salary) एवं OH-31 (pension only) जिसमें 81 शिक्षक और 94 शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं 52 अनुबंधित शिक्षक तथा 112 शिक्षकेत्तर कर्मचारी अनुबंधित कार्यरत हैं। इस प्रकार 339 कर्मचारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं।

स्ववित्तपोषित निधि के अन्तर्गत 23 शिक्षक तथा 56 अनुबंधित शिक्षक हैं। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों में 59 एवं अनुबंधित शिक्षकेत्तर कर्मचारी 72 हैं। इस प्रकार 210 कर्मचारी स्वतःवित्तपोषित निधि से संचालित हैं।

बी.टेक./एम.टेक./इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेस आदि, बी.फार्मा/एम.फार्मा/फार्मा सर्टिफिकेट कोर्सेस, बी.पी.एड/एम.पी.एड/डिप्लोमा कोर्सेस आदि, एम.बी.ए./बी.बी.ए. सर्टिफिकेट कोर्सेस आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में स्ववित्तपोषित में संचालित हो रहे हैं। चूंकि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक प्रबन्धन, वित्तीय प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन प्रबन्ध मण्डल के अधीन है। केवल मात्र पाठ्यक्रम की सम्बद्धता/मान्यता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/पीसीआई आदि के नियमाधीन हैं।

यह प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/पीसीआई के नियमों के आलोक में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संकायों, विभागों के शैक्षणिक, वित्तीय एवं कार्मिक प्रबन्धन हेतु एक निदेशक (सेवानिवृत्त प्रोफेसर/प्रशासनिक अधिकारी) की नियुक्ति की जाए। जो मान्य कुलपति जी के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए प्रबन्ध मण्डल/वित्त समिति द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत प्रस्तावों के अनुरूप कार्य करेगा। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में समस्त (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) पदों पर नियुक्ति/विमुक्ति/प्रोन्नति आदि निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) द्वारा की जाएगी। निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों, शक्तियों एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण समय-समय पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाएगा। स्ववित्तपोषित कोर्सेस के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने हेतु निदेशक के हस्ताक्षर भी सम्मिलित होंगे। स्ववित्तपोषित के समस्त संकाय एवं विभाग निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) के अधीन कार्य करेंगे।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा मान्य कुलपति जी को अधिकृत किया कि वे निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) स्ववित्तपोषित कोर्सेस की नियुक्ति मान्य कुलाधिपति महोदय जी से निर्देश प्राप्त कर आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने अन्तरिम निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की नियुक्ति का अधिकार माननीय कुलपति महोदय को दिया।

प्रस्ताव संख्या 02

विश्वविद्यालय में विगत 07.07.2025 से शिक्षकेत्तर कर्मचारी यूनियन रजिस्ट्रेशन संख्या 286 असंवैधानिक रूप से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को कब्जे में लेकर अवैधानिक हड़ताल रूपी धरना दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में ताला लगा रखा है। जिसके कारण विश्वविद्यालय में दैनिक सरकारी कार्य बाधित हो रहे हैं।

धरने में यूनियन की सदस्यता से इतर अस्थाई कर्मचारियों एवं बाहरी तत्वों को धरने में जबरन बैठाकर विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता एवं शैक्षणिक वातावरण

छिन्न-भिन्न कर दिया है। छात्रों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों में नहीं जाने दिया जा रहा है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

उक्त विस्तृत रिपोर्ट का अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 03

बायो मैट्रिक पद्धति द्वारा वेतन निर्धारण कर वितरण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
नैक कमेटी, एआईसीटीई, पीसीआई के नियमों के अनुसार समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति बायो मैट्रिक पद्धति द्वारा होनी चाहिए। उसी के अनुसरण गत वर्षों से समविश्वविद्यालय में बायो मैट्रिक पद्धति द्वारा उपस्थिति दर्ज की जा रही है। परन्तु अभी तक वेतन का वितरण समस्त कर्मचारियों (स्थाई/अस्थाई) को उपस्थिति पंजिका में किये गये हस्ताक्षर के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

01 सितम्बर, 2025 से समस्त कर्मचारियों के वेतन का वितरण बायोमैट्रिक पद्धति से लिंक कर भेजने हेतु प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव का अंकन कर सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या 04

डॉ. अनिल कुमार धीमान के वेतनमान के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के पत्र पत्रांक F.NO019-16/2008-DESK(U) दिनांकित 07.05.2014 के आलोक में निम्न निर्णय शीघ्र लिए जाने हेतु प्रस्तावित हैं –

1. डॉ. अनिल कुमार धीमान, सूचना वैज्ञानिक की सेवानिवृत्ति की अवधि 60 वर्ष (31.10.2025) होगी। विषय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
2. उपरोक्तानुसार CAS को निरस्त करते हुए नियमानुसार MACP में परिवर्तन हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

डॉ. अनिल कुमार धीमान सूचना वैज्ञानिक (स्टेज-3) CAS के अंतर्गत प्रोन्नति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार जन्मतिथि 01.11.1965 एवं सेवानिवृत्ति तिथि 31.10.2027 अर्थात् 62 वर्ष दर्शाया गया है। यद्यपि गैर शैक्षणिक पद की सेवानिवृत्ति नियमानुसार 60 वर्ष अर्थात् 30.10.2025 होनी चाहिए तथा उपरोक्त नियमानुसार वेतनमान गैर शैक्षणिक रहेगा।

उपरोक्त मामले को प्रबन्ध मण्डल की बैठक 30.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 11 में निर्णय हेतु रखा गया जिसमें निर्णय लिया गया कि ग्रेड वेतन 6,000/- की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया जाए तथा आयोग का जो भी उत्तर आये तदानुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाए। मा. कुलपति द्वारा प्रबन्ध मण्डल को डॉ. आर. डी. कौशिक की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार करने एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु आग्रह किया गया। उपरोक्त संस्तुति के आधार पर डॉ. अनिल कुमार धीमान को पुस्तकालय कैडर के अंतर्गत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की भांति वेतनमान एवं नियमानुसार प्रोन्नति एवं अन्य लाभ प्रदान कर दिए जाए परन्तु इनकी प्रोन्नति सूचना वैज्ञानिक (उप पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान में) तक ही रहेगी। प्रबन्ध मण्डल ने इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि उक्त लाभ डॉ. अनिल कुमार धीमान को इस आशय से प्रदान किया जाता है कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से कोई आपत्ति आती है तो उन्हें मान्य होगी।

प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र पत्रांक F.NO019-16/2008-DESK(U) दिनांकित 07.05.2014 के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूचना वैज्ञानिक अधिकारी CAS प्रान्ति के लिए हकदार नहीं है और कहा गया है कि सूचना वैज्ञानिक अधिकारी को सीएएस के बजाय MACP ही मिलेगा। अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि डॉ. अनिल कुमार धीमान को अन्य शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी तथा उनको दिया गया CAS का लाभ निरस्त किया जाता है एवं उनको नियमानुसार MACP का लाभ दिया जाए।

प्रस्ताव संख्या 05

समविश्वविद्यालय में MoA-2019 के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चक्र क्रमानुसार परिवर्तित समन्वयक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी की सूची कार्यालायादेश पत्रांक GK(DU)/294 दिनांकित 31.7.2025 के द्वारा निर्गत की गई। जिसके अनुसार सभी प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे। समन्वयक, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार/देहरादून तथा मुख्य परिसर, हरिद्वार के प्राच्य विद्या, मानविकी, प्रबन्ध अध्ययन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, विज्ञान, जीव विज्ञान, भेषज विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी तथा योग एवं शारीरिक शिक्षा संकायों के संकायाध्यक्ष कुलसचिव के माध्यम से मान्य कुलपति जी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

प्रस्ताव अंकन हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव का अंकन कर सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या 06

समविश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं डीन, तथा कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार के समन्वयक की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि कन्या गुरुकुल हरिद्वार में भूमि एवं भवन की अत्यधिक कमी के कारण किसी अन्य स्थान पर केवल छात्राओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु एक समर्पित परिसर आरंभ किया जाना चाहिए।

1. इस सत्र से कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) प्रारंभ हो चुका है, जो शिक्षा पटल की बैठक के निर्णयानुसार कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून हेतु प्रस्तावित था। चूंकि पूर्व प्रशासन द्वारा पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किये बिना कन्या गुरुकुल हरिद्वार में बी.टेक. छात्राओं को प्रवेश दे दिया गया और उनकी कक्षाएं प्रारम्भ कर दी गईं। वर्तमान प्रशासन के संज्ञान में जब यह विषय समाज और सोशल मीडिया के माध्यम से आया तो आर्य समाज के सिद्धान्तों के अनुरूप तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए छात्राओं के भविष्य को भी दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं हेतु आवंटित पुरुष शिक्षकों को हटाते हुए उनके स्थान पर महिला शिक्षिकाओं की अंतरिम अस्थाई व्यवस्था की गई। जिससे छात्राओं के भविष्य पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
2. इसी क्रम में संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार/देहरादून की फिजिबिलिटी स्टडी कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया। जिनकी आख्या प्राप्त हो गई है।

रिपोर्ट/आख्या प्रबन्ध मण्डल के समक्ष संदर्भ एवं अंकन हेतु प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल ने रिपोर्ट/आख्या का अंकन करते हुए कुलपति जी को आगामी कार्यवाही हेतु अधिकृत किया।

प्रस्ताव संख्या 07

आर्य समाज के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हरिद्वार में ऐसे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए लीज (पट्टे) के

आधार पर एक नया परिसर लिया जाए। बीएचईएल द्वारा भवन को लीज पर देने हेतु सार्वजनिक सूचना विज्ञापित की गई थी, जिसके संदर्भ में बीएचईएल के महाप्रबंधक (एचआर) श्री संतोष गुप्ता तथा एस्टेट अधिकारी श्री एस. पवार से बैठक एवं परस्पर संवाद के माध्यम से इस पर चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार बीएचईएल के अधिकारियों को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हेतु शीघ्रातिशीघ्र 120 कमरों को लीज पर प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस नवीन समर्पित परिसर में छात्राओं हेतु बी.फार्मा, एम. फार्मा एवं एम.पी.एड. जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जा सकते हैं, साथ ही वर्तमान में संचालित बी.बी.ए., एम.बी.ए. एवं बी.पी.ई.एस. जैसे पाठ्यक्रमों को भी जारी रखा जा सकता है।

प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 08

डॉ. सुहास (असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग), डॉ. श्वेतांक (असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग) एवं डॉ. दीनदयाल वेदलङ्कार (असिस्टेंट प्रोफेसर, वेद विभाग) द्वारा; दिनांक 26-06-2023 को कुछ आरोपों के आधार पर हुए निलंबित से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही को उनके आधिकारिक एवं कार्मिक अभिलेखों से पूर्णतया Expunge किये जाने हेतु Representation (प्रार्थना पत्र) दिनांकित 14-08-2025 माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध मण्डल में उपरोक्त विषय पर हुई विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श के उपरांत पाया गया कि तत्कालीन प्रशासन द्वारा तीनों शिक्षकों डॉ. सुहास (असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग), डॉ. श्वेतांक (असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग) एवं डॉ. दीनदयाल वेदलङ्कार (असिस्टेंट प्रोफेसर, वेद विभाग) के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई। इस पूरे प्रकरण में कोई अनुशासनात्मक दोष सिद्ध नहीं हुआ तथा तीनों शिक्षकों ने एक आश्वासन-पत्र भी प्रस्तुत किया।

डॉ. सुहास (असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग), डॉ. श्वेतांक (असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग) एवं डॉ. दीनदयाल वेदलङ्कार (असिस्टेंट प्रोफेसर, वेद विभाग) की संस्था के प्रति निष्ठा, अकादमिक योगदान, पुरस्कार (जैसे: शोध रत्न एवं उत्कृष्ट शिक्षक) एवं भविष्य की शैक्षणिक, शोध एवं प्रशासनिक संबंधी प्रगति तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. डॉ. सुहास, डॉ. श्वेतांक एवं डॉ. दीनदयाल वेदलङ्कार के निलम्बन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही को उनके आधिकारिक एवं कार्मिक अभिलेखों से पूर्णतया Expunge किया जाए।
2. निलम्बन की अवधि दिनांक 26-06-2023 से 23-09-2023 तक को 'कार्य पर उपस्थित' (On Duty) माना जाए, जिससे तीनों शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन और वरिष्ठता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न हो।

प्रबन्ध मण्डल समस्त तथ्यों एवं तत्कालीन प्रशासनिक परिस्थिति का अवलोकन कर इस निर्णय को संस्थागत निष्ठा, पारदर्शिता एवं व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप मानता है। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कुलसचिव